

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा सं०:- 110/2024

उनवान

कमलेश देवी पत्नी मालीराम यादव जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. नन्ही देवी पत्नी लक्ष्मण
2. लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा ईटावा भापजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
तहत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-29.10.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत रूप से प्राप्त हुये है।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06.06.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 44 के आराजी खसरा नम्बर 3787/1840 रकबा 1.0100 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0100 है0 भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा एवं हाल खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर

amh

1840 रकबा 0.28 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.28 है० भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. कमलेश देवी पत्नि मालीराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर(यादव) सा० देह खातेदार राहिन खसरा नम्बर 3725/1, 3724/1, 3702/2 आरएमजीपी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन आराजी को खसरा नम्बर 3725/1 रकबा 0.1218 है०, खसरा नम्बर 3724/1 रकबा 0.0592 है०, खसरा नम्बर 3719/1 रकबा 0.0566 है०, खसरा नम्बर 3702/2 रकबा 0.1058 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.3434 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. नन्ही देवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा 1/2, लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा० देह राहिन खसरा नम्बर 3702/1, 3725/2, 3724/2 आरएमजीबी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 3702/1 रकबा 0.2117 है०, खसरा नम्बर 3725/2 रकबा 0.2997 है०, खसरा नम्बर 3724/2 रकबा 0.0985 है०, खसरा नम्बर 3719/2 रकबा 0.0770 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6869 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कमलेश देवी पत्नि मालीराम हिस्सा 1/3, नन्ही देवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा 1/3, लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) राहिन खसरा नम्बर 3723, 3702/3 आरएमजीबी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन को आराजी खसरा नम्बर 3723 रकबा 0.0538 है०, खसरा नम्बर 3720 रकबा 0.0504 है०, खसरा नम्बर 3702/3 रकबा 0.0225 है०, खसरा नम्बर 3719/3 रकबा 0.0180 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.1447 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक क्लर्क
(फा० ट्रे०/मुख्यालय)चौमूँ

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:- 110/2024

उनवान

कमलेश देवी पत्नी मालीराम यादव जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. नन्ही देवी पत्नी लक्ष्मण
2. लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा ईटावा भापजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
तहत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं०:- 110/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 44 के आराजी खसरा नम्बर 3787/1840 रकबा 1.0100 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0100 है0 भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा एवं हाल खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 3786/1840 रकबा 0.28 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.28 है0 भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. कमलेश देवी पत्नि मालीराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर(यादव) सा0 देह खातेदार राहिन खसरा नम्बर 3725/1, 3724/1, 3702/2 आरएमजीपी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन आराजी को खसरा नम्बर 3725/1 रकबा 0.1218 है0, खसरा नम्बर 3724/1 रकबा 0.0592 है0, खसरा नम्बर 3719/1 रकबा 0.0566 है0,

amj

खसरा नम्बर 3702/2 रकबा 0.1058 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.3434 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।


2. नन्ही देवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा 1/2, लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा० देह राहिन खसरा नम्बर 3702/1, 3725/2, 3724/2 आरएमजीबी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 3702/1 रकबा 0.2117 है०, खसरा नम्बर 3725/2 रकबा 0.2997 है०, खसरा नम्बर 3724/2 रकबा 0.0985 है०, खसरा नम्बर 3719/2 रकबा 0.0770 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6869 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कमलेश देवी पत्नि मालीराम हिस्सा 1/3, नन्ही देवी पत्नि लक्ष्मण हिस्सा 1/3, लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) राहिन खसरा नम्बर 3723, 3702/3 आरएमजीबी बैंक शाखा ईटावा भोपजी मूर्तहीन को आराजी खसरा नम्बर 3723 रकबा 0.0538 है०, खसरा नम्बर 3720 रकबा 0.0504 है०, खसरा नम्बर 3702/3 रकबा 0.0225 है०, खसरा नम्बर 3719/3 रकबा 0.0180 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.1447 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह

..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत 

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

